


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी.सिविल याचिका संख्या 19883/2019 श्रीमती रचना तिवारी बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर व अन्य प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक: 26.02.2020 की अनुपालना में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक: 03.07.2020 द्वारा श्रीमती रचना तिवारी, स्थानान्तरणार्थीन प्रधानाचार्य (राउमावि मुहाना, जयपुर से राउमावि चितम्बा जिला भीलवाड़ा) को माननीय न्यायालय द्वारा याचिका में पारित आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन राउमावि मुहाना, सांगानेर जिला जयपुर में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यग्रहण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप राउमावि मुहाना, सांगानेर जिला जयपुर में प्रधानाचार्य के पद पर दोहरे पदस्थापन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अतः दोहरे पदस्थापन के निराकरण हेतु श्रीमती अनिता, प्रधानाचार्य का अन्तरिम समायोजन राउमावि चितम्बा जिला भीलवाड़ा में प्रधानाचार्य के पद पर किया जाता है।

उक्त समायोजन पूर्णतया माननीय न्यायालय द्वारा याचिका में पारित आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन रहेगा।



(सौरम स्वामी)

आइ.ए.एत

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/एसबीसिया/19883/रचना तिवारी/357/2019 दिनांक: 10.09.2020
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/अजमेर संभाग, जयपुर/अजमेर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर/भीलवाड़ा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर/भीलवाड़ा।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्रीमती अनिता, प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।



√संयुक्त निदेशक(कार्मिक)